फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

अनवान

1. रामचन्द्र पिता उदा जी कुमावत आयु वयस्क
2. गणेश पिता उदा जी कुमावत आयु वयस्क
3. लेहरीबाई पत्नि भगवान जी कुमावत, आयु वयस्क
4. शंकरलाल पुत्र फतहलाल जी कुमावत आयु वयस्क
5. प्रभुलाल पुत्र शंकरलाल जी कुमावत आयु वयस्क
6. रोडीलाल दत्तक पुत्र रूपा जी जी कुमावत आयु वयस्क

निवासीयान नोगामा, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द राजस्थान

– प्रार्थीगण

बनाम

1. अणछी पुत्री गुलाब जी सालवी आयु वयस्क
2. कैलाश पुत्र गुलाब जी सालवी आयु वयस्क
3. गंगाबाई पुत्री गुलाब जी सालवी आयु वयस्क
4. मांगीबाई पुत्री गुलाब जी सालवी आयु वयस्क
5. हिरालाल पुत्र गुलाब जी सालवी आयु वयस्क
6. रूपीबाई पत्नि स्व. गुलाब जी सालवी आयु वयस्क

निवासीयान सालवी मोहल्ला, नोगामा, तहसील राजसमन्द जिला राजसमंद

– अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रा0पत्र धारा 14(4) **पत्रावली संख्या 26/2024**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 06.04.2026 वकु0 पक्ष0 उपस्थित/अधि0 अप्रार्थी संख्या 02 व 06 द्वारा प्रारम्भिक आपत्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षीगण की आ0नं0 588 रकबा 0.1052 है0 व आ0नं0 1423/588 रकबा 0.7689 है0 भूमि ग्राम नोगामा में विद्यमान है, वर्तमान जमाबंदी को देखने से यह स्पष्ट है कि यह भूमिया विपक्षीगण के खातेदारी हक आधिपत्य की है। कृषि प्रयोजनार्थ आवटंन नियम 1970 से अलोटमैन्ट कैन्सिलेशन की कार्यवाही तभी की जा सकती है, जब तक भूमि गैर खातेदारी में दर्ज हो खातेदारी अधिकार परिपक्व होने के पश्चात उक्त 1970 के नियम लागू नहीं होते है, तथा अलौटमेन्ट कैन्सिलेशन नहीं किया जा सकता है, ऐसा सिद्धान्त बहुत सारे न्यायिक दृष्टान्तो में प्रतिपादित किया हुआ है। आवंटन विपक्षीगण के प्राधिकारी को सन 1977 में उपखण्ड अधिकारी जी, राजसमंद द्वारा हुआ था। तथा यह याचिका 48 वर्षो के पश्चात प्रस्तुत की गई है, जो कानूनन व व्यवहारतः चलने योग्य नहीं हैं। आंवटन पश्चात म्युटेशन 30.10.77 की स्वीकृत किया गया था। जिसके म्युटेशन नंबर 302 द्वारा दिनांक 08.06.89 से खातेदारी अधिकार दिए गए। जिसे भी 36 वर्ष होने को आए है, एवं प्रार्थीगण ने अन्य रंजिश व परेशान करने के लिए याचिका प्रस्तुत की है, जो कानूनी रूप दर्ज होने लायक भी नहीं होकर काबिल निरस्त है। संपूर्ण आवंटन पत्रावली, आवंटन आदेश में कही पर भी विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी को आवंटित भूमि में नाला नहीं बताया गया एवं आवंटन पश्चात पटवारी ने विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी को दिनांक 25.10.77 को पटवारी हल्का ने भूमि पेमुद कर व पर्चा कब्जा सिपुर्दगी मय खसरा नक्शा बना कर रिपोर्ट पेश की थी, विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी में आवंटन हेतु कोई धोखा धडी नहीं किया है, इस कारण प्रार्थीगण द्वारा आधारहीन व अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत याचिका काबिल निरस्त	

है। प्रार्थीगण को आवेदन करने की लोक्स स्टैण्डाई ही नहीं है, तथा प्रार्थीगण विपक्षीगण को खातेदारी की भूमि में जबरन रास्ता निकालना चाहते है, इस कारण दबाव बनाने हेतु यह याचिका दुराशय पूर्वक प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण ने ही एस0डी0ओ0 कोर्ट राजसमंद में 251 ए आर0टी0एक्ट में रास्ते हेतु याचिका विपक्षीगण की भूमियों से मांगा है, जिसके मु0नं0 23 सन 25 है। प्रार्थीगण ने गलत रुमैण व रेकर्ड के विपरित याचिका में लिखवाया कि उक्त भूमि का कब्जा नहीं दिया गया, जबकि पटवारी की 25.10.77 की रिपोर्ट से साबित है कि कब्जा सिपुर्द किया गया था। अतः प्रार्थना है कि विपक्षीगण की प्रारम्भिक आपति स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण की याचिका खारिज की जाए।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रारम्भिक आपत्ती के प्रार्थना पत्र का जवाब न देकर सिधे बहस हेतु निवेदन किया। जिस पर उभय पक्षकारान के अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

विपक्षी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि कृषि प्रयोजनार्थं आवटंन नियम 1970 से अलोटमैन्ट कैन्सिलेशन की कार्यवाही तभी की जा सकती है, जब तक भूमि गैर खातेदारी में दर्ज हो खातेदारी अधिकार परिपक्व होने के पश्चात उक्त 1970 के नियम लागू नहीं होते है, तथा अलौटमेन्ट कैन्सिलेशन नहीं किया जा सकता है। यह याचिका 48 वर्षो के पश्चात प्रस्तुत की गई है, जो कानूनन व व्यवहारतः चलने योग्य नहीं हैं। आंवटन पश्चात म्युटेशन 30.10.77 की स्वीकृत किया गया था। जिसके म्युटेशन नंबर 302 द्वारा दिनांक 08.06.89 से खातेदारी अधिकार दिए गए जिसे भी 36 वर्ष होने को आए है, एवं प्रार्थीगण ने अन्य रंजिश व परेशान करने के लिए याचिका प्रस्तुत की है, जो कानूनी रूप दर्ज होने लायक भी नहीं होकर काबिल निरस्त है। संपूर्ण आवंटन पत्रावली, आवंटन आदेश में कही पर भी विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी को आवंटित भूमि में नाला नहीं बताया गया। प्रार्थीगण विपक्षीगण को खातेदारी की भूमि में जबरन रास्ता निकालना चाहते है, इस कारण दबाव बनाने हेतु यह याचिका दुराशय पूर्वक प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण ने ही एस0डी0ओ0 कोर्ट राजसमंद में 251 ए आर०टी०एक्ट में रास्ते हेतु याचिका विपक्षीगण की भूमियों से मांगा है, जिसके मु0नं0 23 सन 25 होकर अस्वीकार होकर खारिज हो गई है। अतः प्रार्थना है कि विपक्षीगण की प्रारम्भिक आपति स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण की याचिका खारिज की जाए।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में निवेदन किया कि विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी ने राजस्व अधिकारियो से मिलीभगत करते हुए अपने आपको भुमिहीन काश्तकार बताते हुऐ भुमि को अपने नाम आवंटन करा दिया लेकिन आवंटन के पश्चात् कभी भी आवंटी का या विपक्षीगण का कब्जा आधिपत्य नहीं रहा है। उक्त भुमि हमेशा ही बरसाती नाले के बहाव के रूप में स्थित होकर बहाव क्षेत्र की है। यही नहीं उक्त भुमि में प्रार्थीगण के खेतो में आने जाने का रास्ता स्थित है। उक्त भुमि को विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी को गलत रूप से आवंटन हो गई हे और आवंटनशुदा भुमि पर विपक्षीगण अथवा इनके पूर्वाधिकारी का कोई कब्जा नहीं रहा है। भुमि आज भी बरसाती नाले के रूप में स्थित है एवं उक्त बरसाती नाले से होकर प्रार्थीगण अपने खेतो में आते जाते है जो प्रार्थीगण की भुमियो में आने जाने का एक मात्र रास्ता है इसलिए उक्त आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायहित आवश्यक है। आवंटी ने जो आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया उक्त आवेदन पत्र के अनुसार प्रार्थना पत्र को भुमि आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश होना बताया जबकि उक्त आवेदन पत्र न तो आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश हुआ न ही जिलाधीश महोदय के कोई हस्ताक्षर है। केवल मात्र पटवारी हल्का के हस्ताक्षर मात्र से ही उक्त भुमि का आवंटन कर राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दी जबकि उक्त भुमि तत्कालीन समय में न तो काबिल काश्त थी न ही भुमि रिक्त थी। तत्कालीन समय में प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वाधिकारीयो की भुमि में जाने हेतु रास्ता अवस्थित रहा है। मौके पर भुमि किसी भी रूप से काबिल काश्त नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गयी। बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रारम्भिक आपत्ती का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 02 व 06 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, प्रार्थना पत्र व विवादित भूमि के आवंटन की मूल पत्रावली का अध्ययन करने पर यह जाहिर हुआ कि विवादित भूमि का आवंटन वर्ष 1977 में उपखंड अधिकारी राजसमंद द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया तथा इस विवादित भूमि के खातेदारी अधिकार भी सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा दिनांक 08.06.1989 को प्रदान कर दिए गए अर्थात, यह दस्तावेजों से साबित है कि उक्त विवादित आवंटन को निरस्त करने के लिए यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 (4) के तहत 47 वर्षों अर्थात आवंटन के 47 वर्षों पश्चात् तथा खातेदारी प्राप्त किए जाने के 36 वर्षों पश्चात् दायर किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के कथन में कोई ऐसा राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिसके आधार पर विवादित भूमि को नाला माना जा सकता हो। आवंटन के समय भी आवंटन की जाने वाली भूमि की किस्म **"बंजड़"** राजस्व रिकॉर्ड में अंकित थी तथा यह भूमि कमांड एरिया में स्थित होने के कारण इस पर कमांड प्रीमियम भी वसूल किया जाना जाहिर हुआ है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा विभिन्न न्यायालयों की जो नजीरें प्रस्तुत की गई हैं, उसमें भी यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। साथ ही दौरान–ए–बहस यह भी जाहिर हुआ कि इसी भूमि में रास्ता प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखंड अधिकारी राजसमन्द में भी एक प्रार्थना पत्र दायर किया गया था जो खारिज किया जा चुका है। जिसे दौरान–ए–बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा भी अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया है। अतः, यहाँ पर अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जो प्रारंभिक आपत्ति लगाई गई है, वह उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों, प्रकरण के तथ्यों, प्रस्तुत नजीरों के आधार पर स्वीकार योग्य है।

अतः अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 व 06 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ती के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 14(4) को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

जिला कलक्टर
राजसमन्द